निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 174) पटना, शनिवार, 2 अप्रील 2022

विधि विभाग

अधिसूचना

2 अप्रील 2022

सं० एल०जी०–01–05/2022–2823/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 1 अप्रील 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम 04, 2022]
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 20, 2012) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** :– (1) यह अधिनियम बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सम्पूर्ण बिहार राज्य अथवा इसके किसी भाग में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. **बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के धारा–47 में संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–47 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः –
"**47. क्षेत्र विकास स्कीम के लिए आवेदन।**– (1) क्षेत्र विकास योजना(ओं) की मंजूरी के लिए योग्य डेवलपर्स को प्रस्तावित प्रपत्र में आयोजना प्राधिकार के समक्ष एक आवेदन करना होगा,
(2) आवदेन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा:–
(क) धारा–48 में वर्णित विवरण को शामिल करके क्षेत्र विकास स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;
(ख) 80 प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति या कुल प्लाट क्षेत्र का 80 प्रतिशत डेवलपर के पक्ष में पंजीकृत शीर्षक दस्तावेजों या पंजीकृत मुख्तारनामा या पंजीकृत विकास समझौते के रूप में;
परन्तु यह कि किसी आयोजना प्राधिकार द्वारा क्रियान्वित की जानेवाली योजनाओं में कुल भूमि मालिकों की संख्या के 80 प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति या कुल प्लाट क्षेत्र के 80 प्रतिशत भूमि के भूमि मालिक की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।"

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।

2 अप्रील 2022

सं० एल०जी०–01–05/2022–**2824/लेज**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा dated-01st April, 2022 **को अनुमत बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम 04, 2022)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[Bihar Act 04, 2022]
Bihar Urban Planning and Development (Amendment) Act, 2022
AN
Act
To Amend the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 (Bihar Act 20, 2012)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the seventy-third year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement :-
(1) This Act may be called the Bihar Urban Planning and Development (Amendment) Act, 2022
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar or part thereof as may be notified by the State Government.
(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Amendment in Section-47 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012.
- Section- 47 of the said act shall be substituted by the following:

"**47. Application for Area Development Scheme**.-(1) The eligible developers shall in the prescribed form make an application before the Planning Authority for approval of the Area Development Scheme(s).

(2) The applications shall be accompanied by the following documents---

(a) detailed project report of the Area Development Scheme comprising details as mentioned in the section-48

(b) consent of 80 percent of land owners and 80 of the total plot area in form of registered title documents or registered power of attorney or registered development agreement in the favour of developer;

Provided that in the Scheme to be executed by any Planning Authority, consent of 80 percent land owners of the total number of landowners or consent of land owner of 80 percent of total plot area shall not be required."

Jyoti Swaroop Srivastava,
Secretary incharge to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 174-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in